कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला-रीवा (म.प्र.)

-::आदेश::-

क्रमांक/727/प्रवा.कले./कोविड-19/2020:- म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ-10-02/2020/2017 मेडी-2, भोपाल दिनांक 7 मार्च 2020 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अन्तर्गत नोवेल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचा. स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक आईडीएसपी/2020/272, दिनांक 24/03/2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वायरस (कोविड-19) महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

1. म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प्र.स/स्वास/सत्रह/मेडि-3/596, भोपाल दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किया जाता है:-
2. वार्ड क्रमांक 04 खेरी, नगर निगम रीवा क्षेत्र में पाए गए कोविड-19 संक्रमित पॉजिटिव केस के घरों की जानकारी निम्नानुसार है:-

स. क्र.	स्थान का नाम
1.	वार्ड क्रमांक 04 खेरी, मेना देवी कॉम्पलेक्स, नगर पालिक निगम रीवा, जिला रीवा

3. संबंधित व्यक्ति के घर को EPICENTER घोषित करते हुए वार्ड क्रमांक 33, घोघर जाजिया चौक, माजिद खान का घर, नगर पालिक निगम रीवा, जिला रीवा को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है। इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यत: किया जावेगा।
4. कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी THE EPIDEMIC DISEASES COVID-19 REGULATION 2020 अन्तर्गत उक्त कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु निम्नानुसार दल गठित किया जाता है:-

क्षेत्र	इंसीडेंट कमाण्डर	राजस्व अधिकारी	पुलिस अधिकारी	जोनल अधिकारी (नगर निगम)	पीडब्ल्यूडी अधिकारी
वार्ड क्रमांक 04 खेरी, मैना देवी कॉम्पलेक्स, नगर पालिक निगम रीवा, जिला रीवा	श्रीमती फरहीन खान, अनुविभागीय दण्डाधिकारी हुजूर मो.नं. 9424900873	श्री आर.पी.त्रिपाठी तहसीलदार हुजूर नगर मो.नं. 8458918800	श्री एस.एस. बघेल नगर पुलिस अधीक्षक मो.नं. 9424399000	श्री एस.के. चतुर्वेदी, जोनल अधिकारी जोन क्र. 33 मो.नं. 9826923134	श्री के.के.गर्ग एसडीओ अनुभाग क्र.-1 रीवा मो.नं. 9630040999

5. कंटेनमेंट प्लान एवं कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु नोडल अधिकारी श्रीमती अर्पिता सिंह, सहायक कार्यक्रम प्रबंधक अर्बन, मोबाईल नम्बर 7974327742 रहेंगे।

कंटेनमेंट एरिया

(1) कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों को होम क्वारन्टाइन में रहना उचित होगा। संदर्भित कार्यालयीन आदेशों के माध्यम से जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, उनका सही तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा। अत: कंटेनमेंट एरिया के अंदर भी आवागमन पूर्ण तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

(2) कंटेनमेंट एरिया को पेरीमीटर कंट्रोल किया जाना होगा, जिसके अन्तर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा।

(3) कंटेनमेंट एरिया हेतु रैपिड रिस्पॉन्स टीम/मेडिकल मोबाइल यूनिट स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाईड-लाईन अनुसार कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे।

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

कृ.प.उ.

Scanned with CamScanner

(4) उक्त क्षेत्र के एंट्री एग्जिट प्वाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग की जावेगी।

(5) समस्त वार्डवार फ्रंट लाइन, कार्यकर्ता/एपीसेन्टर से प्रति टीम 50 घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट नोडल श्रीमती अर्पिता सिंह सहायक कार्यक्रम प्रबंधक अर्बन, मोबाईल नम्बर 7974327742 को अनिवार्यत: उपलब्ध करायेंगे।

(6) समस्त टीम कोविड-19 ससपेक्टेड केस की मॉनीटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं कोविड-19 संक्रमण की संभावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी, श्वॉस लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर.आर. टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।

(7) समस्त कोविड-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट सम्पर्क को होम क्वारन्टाइन कराया जाना अति आवश्यक है, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके।

(8) जिसको होम क्वारन्टाइन किया गया है, उसका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा। (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) जब तक कि ससपेक्टेड केस की रिपोर्ट निगेटिव न आ जाए और रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो संबंधित के फार्स्ट कांटेक्ट को 14 दिन तक होम क्वारन्टाइन में रखना होगा एवं फॉलोअप अतिरिक्त 14 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा।

(9) आगे संक्रमण फैलाने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अन्तर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करते हुए समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यत: सम्पर्क ट्रेसिंग किया जाकर उन्हें भी होम क्वारन्टाइन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन सम्पर्क करते हुये सम्पर्क की रिपोर्ट किया जाना सुनिश्चित करें।

(10) नगर पालिक निगम रीवा के जोनल अधिकारी क्षेत्र का सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(11) सस्पेक्टेड केस आर.आर.टीम/एम.एम.यू द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हेण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकॉल पालन करवाना सुनिश्चित करें।

(12) समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

(इलैया राजा टी.)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला-रीवा (म.प्र.)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/727/प्रवा.कले./कोविड-19/2020 रीवा, दिनांक-28/7/20

प्रतिलिपि:-

01. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
02. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परि.कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
03. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
04. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
05. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
06. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
07. पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
08. पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ।
09. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा।
10. पुलिस अधीक्षक जिला रीवा की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला रीवा।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. अनुविभागीय दण्डाधिकारी (समस्त) तहसील .... की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग रीवा।

कृ.प.उ.

Scanned with CamScanner

15. जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला रीवा।
16. नगर पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. रैपिड रिस्पांस टीम एवं मेडिकल मोबाईल टीम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. स्टेनो टू कलेक्टर/अपर कलेक्टर, रीवा।
19. संबंधीजन श्री .... की ओर पालनार्थ।
20. सहायक संचालक, जन सम्पर्क रीवा की ओर प्रकाशनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला-रीवा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला-रीवा (म.प्र.)

-::आदेश::-

क्रमांक/ 727 /प्रवा.कले./कोविड-19/2020:- मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 10.2/2020/17/मेडी-2 भोपाल दिनांक 07/03/2020 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अन्तर्गत नोवेल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/आईडीएसपी/2020/272 दिनांक 24/03/2020 एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोराना वायरस कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटनेमेंट प्लान जारी किया गया है।

म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र./प्र.सं./स्वास/सहस्त्र/मेडि-3/596 भोपाल दिनांक 23/03/2020 द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के धारा 71(2) में प्रावधानित समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किए जा चुके है। अतः मैं इलैया राजा टी., कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रीवा (म.प्र.) पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग कर निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ:-

Covid-19 महामारी की रोकथाम हेतु कोरोना पॉजिटिव मरीज को दृष्टिगत रखते हुये वार्ड क्रमांक 04 खैरी, मैना देवी कॉम्पलेक्स, नगर पालिक निगम रीवा, जिला रीवा को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है। कंटेनमेंट क्षेत्र के अतिरिक्त चारों ओर एक किलोमीटर का क्षेत्र बफर जोन माना जाएगा, जिसमें आई.एल.आई. के मरीजों की पहचान एवं त्वरित जानकारी देना आवश्यक होगा। उक्त कार्य के सम्पादन हेतु निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारी के कर्तव्य निश्चित किए जाते है:-

सर्वेक्षण दल

दल क्र.	नाम	पद	मोबाइल नम्वर	वार्ड क्रमांक
1.	अल्का शुक्ला	आशा कार्यकर्ता	7898291937	04
	संध्या शुक्ला	आशा कार्यकर्ता	9424976580	

पर्यवेक्षण दल

क्र.	नाम	पद	मोबाइल नम्बर
1	सुधा शुक्ला	सुपरवाईजर	9424600350

उपरोक्त कार्यवाही हेतु अधिकारी श्रीमती अर्पिता सिंह सहायक कार्यक्रम प्रबंधक अर्बन, मोबाईल नम्बर 7974327742 कंटेनमेंट क्षेत्र में कांटेक्ट ट्रेसिंग का कार्य देखेगें तथा प्रतिदिन रिपोर्ट सुपरवाईजर सुधा शुक्ला मो.नं. 9424600350 के माध्यम से प्राप्त कर खण्ड कार्यालय एवं जिला कार्यालय को दोपहर 03 बजे

कृ.प.उ.

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

के पूर्व प्रेषित करेंगे। आर.आर.टी. रीवा संभावित संक्रमित व्यक्ति कंटेनमेंट क्षेत्र में पाये जाने पर उनकी जानकारी प्राप्त करके सेम्पलिंग व आईसोलेशन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(इलैया राजा टी.)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला-रीवा (म.प्र.)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/ 727 /प्रवा.कले./कोविड-19/2020

रीवा, दिनांक- 28/7/20

प्रतिलिपि:

01. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
02. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परि.कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
03. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
04. पुलिस अधीक्षक जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग हुजूर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. रैपिड रिस्पांस टीम एवं मेडिकल मोबाईल टीम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. स्टेनो टू कलेक्टर/अपर कलेक्टर, रीवा की ओर सूचनार्थ।
10. संबंधीजन श्री .... की ओर आदेश सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला-रीवा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner